न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 30/17 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2017/00309

उनवान

1. शान्तिस्वरूप } पुत्रगण ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी कस्बा कॉमा तहसील कॉमा जिला
2. लेखराज } भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. परमलाल पुत्र भूपनराम जाति गडरिया निवासी श्रोतिया मौ0 कस्बा कॉमा तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पो0

2. मुस0 गंगादेवी पत्नी ओमप्रकाश
3. ललित } पुत्रियान ओमप्रकाश जातियान ब्राहमण निवासीयान कस्बा कॉमा तहसील कॉमा जिला
4. लक्ष्मी } भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कॉमा दिनांक 27.9.17 उनवानी ओमप्रकाश बनाम परमलाल मु0न0 21/15

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री आनन्द प्रकाश उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुनिल दत्त शुक्ला अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 02.11.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कॉमा के आदेश दिनांक 27.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 5140 वाके कस्बा कॉमा नं0 03 तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कॉका में स्थित है। जिसके खातेदार वादी अपीलाण्ट एवं उसका भाई श्यामबाबू काबिज काश्तकार हैं। उक्त विवादित आराजी में वादी अपीलाण्ट के पूर्वजो के समय से ही कुँआ बना हुआ है। जिससे वह अपनी खातेदारी की आराजी की सिंचाई करते हैं। विवादित आराजी के पास ही प्रतिवादीगण रैस्पो0 व अन्य की सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 6992 है। जिसमें प्रतिवादीगण रैस्पो0 बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना गहराई में बोर लगाना चाहता है, जो कि गैर कानूनी है। किसी भी पूर्ववर्ती कुँआ व बोरिंग से 200 मीटर की दूरी पर ही नये कुँआ व बोर का निर्माण कराया जा सकता है। यदि प्रतिवादीगण रैस्पो0 अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो, वादी अपीलाण्ट का अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र 'दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। यह है कि पत्रावली दिनांक 06.09.2017 को साक्ष्य वादी में नीयत थी एवं दिनांक 06.09.2017 को रैस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दोंनों पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय व डिक्री पारित कर दी, जो कि कानूनन गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीयात कायम की गयी हैं। परन्तु अपीलाधीन आदेश तनकीवार नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 अन्तर्गत, अनुतोष पाने के लिए आवश्यक है कि :–

(1) वादी का विवादित भूमि पर स्वत्व हो।
(2) वादी का विवादित भूमि पर कब्जा हो।
(3) वादी के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा बेदखली की धमकी हो।

वर्तमान प्रकरण में, वादी/अपीलाण्ट का ना तो विवादित भूमि में कोई स्वत्व है एवं ना ही उनका कब्जा है एवं ना ही वादी अपीलाण्ट यह सिद्ध कर पाये हैं कि प्रतिवादी द्वारा उन्हें उनकी खातेदारी की भूमि से बेदखली की धमकी दी हो। अतः वादी/अपीलाण्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 अन्तर्गत अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का भी प्रश्न नहीं बनता है। प्रतिवादी रैस्पो0 ने अपनी आराजी

राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

पर बोर लगा रखा है एवं उक्त बोर के लिये विद्युत कनेक्शन लेना चाह रहे हैं। यदि अपीलाण्ट को प्रतिवादी रैस्पो0 के विद्युत कनेक्शन लेने वावत् कोई उज्र था, तो उन्हें विद्युत विमाग को पक्षकार मुकदमा बनाना था, जो नहीं वनाया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं। यदि अपीलाण्ट चाहे तो विद्युत विभाग में परिवाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही करने को स्वतंत्र हैं। हस्तगत अपील से वादी अपीलाण्ट को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किये जा सकते।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कॉमा के निर्णय दिनांक 27.09.2017 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 02.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

02/11/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 30/17 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2017/00309
उनवानी :–

1. शान्तिस्वरूप
2. लेखराज

} पुत्रगण ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी कस्बा कॉमा तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. परमलाल पुत्र भूपनराम जाति गडरिया निवासी श्रोतिया मौ0 कस्बा कॉमा तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पो0

2. मुस0 गंगादेवी पत्नी ओमप्रकाश
3. ललित
4. लक्ष्मी

} पुत्रियान ओमप्रकाश जातियान ब्राहमण निवासीयान कस्बा कॉमा तहसील कॉमा जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कॉमा दिनांक 27.9.17 उनवानी ओमप्रकाश बनाम परमलाल मु0न0 21/15

यह अपील .....02.....माह.....11.....सन्.....2023.....व हमारे .....श्री आनन्द प्रकाश एड. ..... मिनजानिब अपीलाण्ट उपस्थित , रैस्पोडेण्ट श्री सुनिल दत्त शुक्ला अनुपस्थित समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 27.09.2017 यथावत रखा जाता हैं।
(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....02.....माह.....11.....सन्.....2023.....को जारी की गई।

2/11/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।